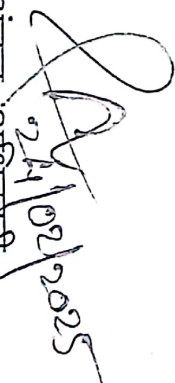


आदेश

प्रश्नगत भूमि मौजा- बोझाम, खाता सं०-१५ प्लॉट सं०-३२५० कुल खतियानी रकबा-०.१०८० भूमि रैयती खाते की भूमि है। गोपाल चन्द्र सांरणी व अन्य द्वारा उक्त भूमि पर सर्वे खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है। गोपाल चन्द्र सांरणी व अन्य खतियानी रैयत किशोरी मोहन सांरणी का वंशज है।

द्वितीय पक्ष तरणी सेन गोप द्वारा भी उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर तरणी सेन गोप का दखल कब्जा है, शेष भाग खाली परती है। तरणी सेन गोप द्वारा १९६४ के पूर्व का केवाला सं०-५३५ दिनांक-२८.०१.१९५६ की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित प्लॉट सं०-१०१४ दर्ज है जिसके आधार पर श्री तरणी सेन गोप द्वारा उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। १९६४ भू-सर्वे के अंतिम रूप से प्रकाशन के पूर्व प्लॉट नं०-१०१४ को ही तरणी सेन गोप द्वारा सर्वे प्रकाशन के पश्चात् का प्लॉट नं०-३२५० बताया जा रहा है। किन्तु सर्वे प्रकाशन के पश्चात् सर्वे खतियान में तरणी सेन गोप या उनके पूर्वज का नाम दर्ज नहीं है। बल्कि गोपाल चन्द्र सांरणी व अन्य के पर्वज किशोरी मोहन सांरणी का नाम दर्ज है।

दोनों पक्षों द्वारा मौजा-बोझाम, खाता सं०-१५ प्लॉट सं०-३२५० की भूमि पर दावा किया जा रहा है जो स्वामित्व से संबंधित मामला बनता है। किसी भी भूमि का स्वामित्व निर्धारण अंचल अधिकारी के स्तर से नहीं किया जाता है। उभय पक्ष वाद ग्रस्त भूमि का स्वामित्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय के वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।


अंचल अधिकारी
बोझाम